

68

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2011 अपील

A-120-PBR/2011

सेठी एजेन्सी प्रो. मनवीर सिंह सेठी पुत्र श्री
हरविन्दर सिंह सेठी कोठारी कॉम्पलेक्स के
पीछे सराफा बाजार लशकर ग्वालियर म.प्र.

— अपीलान्त

बनाम

1. शाखा प्रबन्धक युनाइटेड वेस्टर्न बैंक शाखा
नया बाजार लशकर ग्वालियर
2. नायब तहसीलदार तहसील ग्वालियर म.प्र.
— रेस्पोंडेन्टगण

श्री प्रदीप चण्डा उन्मिच्छा
आज दिनांक 12/11/2011 के सुनने

[Handwritten signature]
25/11

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
न्यायलय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. के
प्र.क. 26/09-10/विविध में पारित आदेश दिनांक
30-06-2010 के विरुद्ध अपील जानकारी दिनांक से अंदर
अवधि प्रस्तुत।

[Handwritten signature]
(SP Dhatwad
25/11/2011)

माननीय महोदय,

अपीलान्त की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश है :-

अपील के संक्षिप्त तथ्य:-

1. यह कि, प्रकरण में रेस्पोंडेन्टगण द्वारा मुझ
अपीलान्त के विरुद्ध अपर तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष म.प्र. लोन धन
राशियों की वसूली अधिनियम 1987 के तहत अपर तहसीलदार ग्वालियर के
समक्ष कार्यवाही की जा रही है।
2. यह कि, प्रकरण में अपर तहसीलदार ग्वालियर के द्वारा सही कार्यवाही ना
कर अवैध एवं अनियमित कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में विशेष रुचि
लेकर पेशी पास-पास की दिया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही
से तंग होकर संहिता की धारा 29 के तहत आवेदन पत्र अपर आयुक्त महो.
ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अपर आयुक्त


[Handwritten signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 120-पीबीआर/2011

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.4.2017	<p>उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में अन्तरण का औचित्य नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है। फलस्वरूप यह अपील ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>